न्यायालय सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10, मथुरा।
दाण्डिक प्रकीर्ण सं०–505/2024
रामवीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि

20–12–2024

पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली आज प्रार्थी रामवीर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 6 ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, समर्थित शपथपत्र 7 ख के निस्तारण आदेश में नियत है। जिस पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विपक्षी सं० 1 विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व दिनांक पर सुना जा चुका है एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थी रामवीर की ओर से प्रार्थनापत्र 6 ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि "प्रार्थी की बहन श्रीमती रेखा धर्म पत्नी स्व० श्री जसवंत सिंह की मृत्यु हो गयी है, उसके छोटे छोटे बच्चे है, उसकी ससुराल ग्राम रूनकता थाना सिकन्दरा जिला आगरा में है। हम परिवार की देखभाल करते जाते रहते है, उसके पुत्र राजेश जिसकी उम्र 11 वर्ष है वह दिनांक 30.06.2024 को जल गया था, हमारा पूरा परिवार गया, बहन के रोकने पर वह स्वयं 20 दिन रूका था, इलाज चलता रहा। इसी बीच बड़ी बहन श्रीमती बबीता के पति श्री रामेश्वर निवासी मई थाना जिला भरतपुर 23.06.2024 को बीमार हो गये, उन्होने बुला लिया एवं मुझे करीब बीस दिन रूकना पड़ा। मेरे ममिया ससुर श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री किसुनी निवासी अगरयाला थाना शेरगढ़ जिला मथुरा की दुर्घटना में दिनांक 08.04.2024 को मृत्यु हो गयी थी, मेरी पत्नी श्रीमती रामा अपने मामा की प्रिय थी, वह वहॉ जाकर भंयकर गर्मियो में बीमार हो गयी उसकी सेवा ग्राम अगरयाला में होती रही एवं बताये अनुसार रेस्ट करती रही, मुझे अपनी पत्नी के पास जाना पडता था वह दिनांक 08.04.2024 से 10 जुलाई तक अपने ननिहाल में ही रही। पिछले करीब डेढ़ माह से मैं बहुत परेशान रहा। मुझे अपनी विधवा बहन के यहॉ रूनकता जिला आगरा एवं बडे बहनोई के बीमार हो जाने के कारण भरतपुर एवं अपने ममिया ससुर की मृत्यु के कारण अगरयाला जाना पड़ा विपत्ति में फस गया। प्रार्थी कभी अपनी बहन रेखा के यहॉ कभी दूसरी बहन के पति रामेश्वर के यहॉ कभी तेजपाल सिंह जिनके परिवार विपत्ति में थे, के कारण 45 दिन तक आने जाने व रहने में बीत गये एवं वह पुनरीक्षण दाखिल नही कर सका। प्रार्थी ने विद्वान सी०जे०एम० मथुरा के न्यायालय से इस केस की निर्णय की नकल, हॉलाकि 25.06.2024 को प्राप्त कर ली थी, उसके बाद अपनी बहनो के यहॉ जाना पड़ा, इस कारण रिवीजन दायर करने में 46 दिन की देरी हो गयी। उक्त स्थिति में पुनरीक्षण दाखिल करने में हुयी देरी को क्षमा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।'' अतः प्रार्थनापत्र 6 ख में वर्णित उक्त आधार पर प्रार्थी ने, पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना, न्यायालय से की है।

उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध विपक्षी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 2 लगायत 11 की ओर से मौखिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 01.03.2024 की जानकारी प्रार्थी को शुरू से रही है, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उपरोक्त दाण्डिक पुनरीक्षण देरी से प्रस्तुत किया गया है, अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 6 ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र 6 ख में वर्णित तथ्यो के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि उसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 01.03.2024 की जानकारी तो थी, परन्तु परिवार में दुर्घटना होने एवं परिवारवालो की बीमारीवश उनकी देखभाल हेतु, मथुरा से बाहर रहने के कारण वह आक्षेपित आदेश दिनांक 01.03.2024 के विरूद्ध, निर्धारित समय सीमा के भीतर पुनरीक्षण संस्थित नही कर सका और उसके द्वारा आक्षेपित आदेश की प्रतिलिपि दिनांक 25.06.2024 को प्राप्त कर, पुनरीक्षण, दिनांक 16.07.2024 को, परिसीमा काल व्यतीत होने के 46 दिन पश्चात, न्यायालय के समक्ष संस्थित किया गया, परन्तु पुनरीक्षण प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है, वह प्रार्थी के परिवार में दुर्घटना होने एवं परिवारवालो की बीमारीवश उनकी देखभाल हेतु, प्रार्थी के मथुरा से बाहर रहने के कारण तथा परिस्थितिवश हुआ व जानबूझकर नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के तर्क को देखते हुये तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी की ओर से, पुनरीक्षण याचिका को विलम्ब से न्यायालय के समक्ष संस्थित करने का जो कारण, प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र 6 ख में दिया है वह पर्याप्त कारण होना परिलक्षित होता है एवं यहॉ यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **शिल्पा बनाम मधुकर एवं अन्य, 2001 (2) जे०आई०सी० पेज 588, (S.C.)** में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत दिया गया है कि धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में न्यायालय को उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और मात्र प्रक्रिया की तकनीकियों के आधार पर प्रार्थनापत्र निरस्त नही करना चाहिये। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर, प्रक्रिया की तकनीकियों पर न जाते हुये, विलम्ब का कारण पर्याप्त पाते हुये, प्रार्थनापत्र 6 ख स्वीकार किये जाने योग्य है, परन्तु विलम्ब से पुनरीक्षण संस्थित करने के कारण विपक्षी/ परिवादी पक्ष को, जो क्षति हुई, उसकी क्षतिपूर्ति हेतु, प्रार्थनापत्र 6 ख हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6 ख, 1,000/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी हर्जा अन्दर तीन दिन में अदा करना सुनिश्चित करे व इस आदेश के समय से अनुपालन के सम्बन्ध में कोई लापरवाही न बरते। हर्जा अदायगी के उपरान्त, पत्रावली अंगीकरण के बिन्दु पर सुने जाने हेतु दिनांक 06.01.2025 को माननीय जनपद न्यायाधीश, मथुरा के समक्ष प्रस्तुत हो।

(श्वेता वर्मा)
(Ms. Sweta Verma)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10, मथुरा
J.O.Code– U.P. 6428

Digitally signed by SWETA VERMA
Date: 2024.12.21 12:42:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court